भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर, ओडिशा में मुख्य कार्यालय परिसर में विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु तकनीकी सहायक के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए निविदा

आरबीआई/भुवनेश्वर/एस्टेट/132/22-23/ईटी/207

निविदाकर्ता का नाम:---

पता---

फोन. नं.________________________________

निविदा जमा करने की तिथि और समय: - 22 अगस्त, 2022 @ 02:00 अपराह्न

निविदा खोलने की तिथि और समय Part I: - 22 अगस्त, 2022 @ 03:00 अपराह्न

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर, ओडिशा में मुख्य कार्यालय परिसर में विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु तकनीकी सहायक के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध

अनुक्रमणिका

क्रम.सं	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	**भाग - I**	1
2.	अनुक्रमणिका	2
3.	ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)	3 – 5
4.	ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	6 – 10
5.	निविदा का प्रपत्र	11 – 12
6.	करार की शर्तें	13 – 15
7.	भाग I - निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश	16 – 22
8.	भाग II - निविदाकर्ताओं के लिए विशेष शर्तें	23 – 30
9.	भाग III - तकनीकी कार्य का दायरा	31 – 39
10.	अनुलग्नक – ए – बयाना जमा राशि के लिए बैंक गारंटी का मसौदा	40 – 41
11.	अनुलग्नक – बी - प्रस्तावित प्रमुख कार्मिक	42
12.	अनुलग्नक – सी – प्रस्तावित प्रमुख कर्मचारियों का शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव	43
13.	**भाग - II**	44
14.	मात्रा की अनुसूची / मूल्य बोली	45

भारतीय रिज़र्व बैंक **संपदा विभाग** **भुवनेश्वर**			
ई-निविदा आमंत्रण की सूचना			
भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर, ओडिशा में मुख्य कार्यालय परिसर में विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु तकनीकी सहायक के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध			
1.	"भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर, ओडिशा में मुख्य कार्यालय परिसर में विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु तकनीकी सहायक के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध" के संदर्भ में **भुवनेश्वर कार्यालय में सूचीबद्ध विक्रेताओं से** ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदा चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए अर्थात, 01 सितंबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 [07 महीने] तक के लिए लागू होगी। तथापि, संविदा को सफल बोलीदाता के संतोषजनक निष्पादन और सेवा प्रदाता द्वारा संविदात्मक दायित्वों के अनुपालन के अधीन दो वित्तीय वर्षों (एक समय में एक वर्ष) की आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।		
1.(क)	इच्छुक निविदाकर्ता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले पूरे निविदा दस्तावेज को देख सकते हैं। निविदाकर्ता खुद की जिम्मेदारी और स्वयं के खर्च पर उन सभी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं जो निविदा बनाने के उद्देश्य से और अनुबंध को निष्पादित करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं और सभी स्थानीय स्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से स्वयं अवगत हो सकते हैं।		
2.	सभी अर्हता-पूर्व दस्तावेजों को एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी -वाणिज्यिक बोली (भाग-I) के साथ अपलोड किया जाएगा। जो विक्रेता अर्हता-पूर्व दस्तावेजों को अपलोड नहीं करते हैं, उन्हें इस निविदा प्रक्रिया के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार को आगे की निविदा प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने की मांग किए जाने पर मूल दस्तावेजों को बैंक को प्रस्तुत करना चाहिए।		
2.(क)	**पंजीकरण प्रमाण पत्र - श्रम सुविधा पोर्टल**	निविदाकर्ताओं को श्रम सुविधा पोर्टल पर जारी किए गए ईपीएफ/ईएसआईसी पंजीकरण प्रमाण पत्रों की प्रतियां **अपलोड** करनी होगीं।	
2.(ख)	**ईपीएफ/ईएसआईसी जमा करने का प्रमाण**	निविदाकर्ताओं को ईपीएफ के लिए कम से कम 2 महीने का ईसीआर और संयुक्त चालान और ईएसआईसी के लिए चालान को अपनी निविदा के साथ बैंक को प्रस्तुत करने हेतु **अपलोड** करना होगा।	
3.	इच्छुक निविदाकारों को निविदा की तकनीकी-वाणिज्यिक (भाग-I) बोली के साथ उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करने वाले प्रयोज्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वही अर्हता दस्तावेज एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी -वाणिज्यिक बोली (भाग-I) के साथ अपलोड किए जाने चाहिए।		
4.	निविदा का फॉर्म **15 जुलाई, 2022 की शाम 5:00 बजे से** डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। **12 अगस्त, 2022 को सुबह 11:00 बजे** से संपदा विभाग, आरबीआई भुवनेश्वर में एक बोली-पूर्व बैठक		

	आयोजित की जाएगी। **आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in या www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi से देखने के लिए निविदा फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। प्रयोज्य अर्हता-पूर्व दस्तावेजों को एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी-वाणिज्यिक (भाग-I) बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।**
5.	इच्छुक विक्रेता / फर्म www.Mstcecommerce.com/eprocurement/rbi) के साथ पंजीकृत होने के बाद ई-निविदा में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocurement/rbi के माध्यम से खोली जाएगी और प्रयोज्य लेनदेन प्रभार का भुगतान फर्म को करना होगा।
6.	**निर्धारित प्रारूप में निविदा को एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। निविदा के भाग-I में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें और निविदाकर्ताओं के लिए अग्रेषण पत्र शामिल होगा।** **₹14,620/-** की बयाना जमा राशि **(ईएमडी) प्रत्येक सफल बोलीदाता द्वारा** खाता संख्या -186004001, भारतीय रिज़र्व बैंक, आईएफएससी कोड- RBIS0BBPA01, शाखा का नाम - भुवनेश्वर एनईएफटी अंतरण के माध्यम से **या** 'भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर' के पक्ष में देय अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा **या** बैंक के मानक प्रोफार्मा, जो निविदा-प्रपत्र में अर्हता-पूर्व दस्तावेजों के साथ उपलब्ध है, में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की जाने वाली अविकल्पी बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करनी होगी ।
7.	निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:

सीमित ई-निविदा की निविदा अनुसूची (एसओटी)

	कार्यकलाप	**अनंतिम दिनांक**
i	ई - निविदा सं.	**RBI/Bhubaneswar/Estate/132/22-23/ET/207**
ii.	निविदा का माध्यम	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग-II मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi के माध्यम से
iii.	अनुमानित लागत (12 महीने की अवधि के लिए)	**₹7,31,000/-**
iv.	पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध एनआईटी की तारीख (पूर्ण निविदा के साथ) - पोर्टल पर निविदा एक्टिवेशन -सभी के लिए निविदा 'लाइव'	**15 जुलाई, 2022 शाम 5:00 बजे से**
v.	ऑफ़-लाइन बोली पूर्व-बैठक के प्रारंभ होने का दिनांक और समय	**12 अगस्त, 2022 @ 11:00 बजे पूर्वाह्न**

vi.	बयाना जमा राशि	**₹14,620/- (केवल सफल बोलीदाता के लिए)**
vii.	निविदा शुल्क	**शून्य**
viii.	लेन-देन प्रभार कृपया ध्यान दें कि विक्रेताओं द्वारा लेनदेन प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के बाद ही ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच प्राप्त होगी।	एमएसटीसी लिमिटेड, जैसा कि मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सूचित किया गया है, के पक्ष में एमएसटीसी गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से लेनदेन प्रभार का भुगतान
ix.	आरबीआई, भुवनेश्वर के संपदा विभाग में ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	कार्यआदेश जारी होने के 10 दिन बाद
x.	**बोली खुलने की तिथि:** **www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi** पर ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-टेंडर शुरु होने की तारीख	**13 अगस्त, 2022 @ 02:00 बजे अपराह्न**
xi.	**बोली समापन तिथि:** तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-टेंडर बंद होने की तिथि	**22 अगस्त 2022 @ 02:00 अपराह्न**
xii.	**भाग I बोली खोलने की तारीख**	**22 अगस्त, 2022 @ 03:00 अपराह्न**
xiii.	**भाग II बोली खोलने की तारीख**	पक्षों को अलग से सूचित किया जाएगा
8.	**बैंक सबसे कम दर उद्दधृत करनेवाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बैंक पूर्ण रूप से या किसी भी निविदा को आंशिक रुप से स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार भी रखता है।**	

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

<u>ई-टेंडर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश</u>

बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपनी ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ें

1. **क) पंजीकरण**: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण किया जाना शामिल है जो नि: शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकता है। तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास वर्ग III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी खुद की व्यवस्था करनी होती है। इस तरह की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी एमएसटीसी की नहीं है। (बोलियों को डिजिटल हस्ताक्षर के बिना रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा)।

विशेष नोट: तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली को www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा ।

1).विक्रेताओं को खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है www.mstcecommerce.com→ ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू / सरकारी विभाग→ आरबीआई लोगो का चयन करें →विक्रेता के रूप में पंजीकृत कराएं - विवरण भरें और खुद की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं→ सबमिट करना ।

2). विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

किसी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया आरबीआई/ एमएसटीसी से संपर्क करें, (ई-टेंडर के निर्धारित समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

श्री नीरज कुमार मिश्रा सहायक प्रबंधक ईमेल आईडी: neerajkmishra@rbi.org.in मोबाइल: +91 9748038497	श्री ऋतु राज **सहायक महाप्रबंधक** ईमेल आईडी: rdgupta@rbi.org.in फोन नंबर: 0674-2396463

संपर्क व्यक्ति (MSTC लिमिटेड):

Contact Person (एमएसटीसी लिमिटेड**):**

1. श्री तम्मना डीएमवी सत्यसाई, एसएम (बीएम)
tsatyasai@mstcindia.co.in [Ph-09441487624/ 0674-2571699(D)]

2. श्री रामवथ महेश, एएम
mahesh@mstcindia.co.in [Ph- 08801281004/ 0674-2571699(D)]

B) सिस्टम आवश्यकताएँ:

1. विंडोज 7 या उसके बाद के संस्करण वाले ऑपरेटिंग सिस्टम
2. IE-7 और इंटरनेट ब्राउज़र के बाद के संस्करण
3. हस्ताक्षर स्वरूप का डिजिटल हस्ताक्षर
4. नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने और सिस्टम में स्थापित करने के लिए।

डीएससी के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में दिखने के लिए निम्न सेटिंग्स किए जा सकते हैं।

उपकरण = > इंटरनेट विकल्प = >सुरक्षा = > सुरक्षित मोड को अक्षम करें यदि सक्षम किया गया है- यानी, "सुरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करते हुए टिक बॉक्स से टिक को निकालें।

अन्य सेटिंग्स:

उपकरण = > इंटरनेट विकल्प = > सामान्य = > "ब्राउज़िंग इतिहास / ब्राउज़िंग इतिहास हटाएँ" के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें = > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें = > सक्रिय करें "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूं"।

सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और टूल्स के तहत 'पॉप अप अवरोधक का

उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए इंटरनेट विकल्प→ कस्टम स्तर के तहत (कृपया www.mstcecommerce.com के पृष्ठ से IE सेटिंग्स एक बार रन करें)

2. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली को www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। निविदाओं को निविदा में दिए गए अनुसार विनिर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा।

3. निविदा में सभी प्रविष्टियों को बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज किया जाना चाहिए।

4. <u>लेन-देन शुल्क हेतु विशेष नोट:</u>

विक्रेताओं को विक्रेता लॉगिन में "माई मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान उत्पन्न करेगा। विक्रेता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क की राशि को उस में परिवर्तन किए बिना भेज देगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क ऑटो अधिकृत होगा, और विक्रेता को सिस्टम से जनरेट किए हुए मेल प्राप्त होंगे।

<u>लेन-देन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।</u>

एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी।

<u>नोट:</u> बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे घटना के समापन समय से पहले लेन-देन शुल्क को पहले से ही भेज दें ताकि खुद को बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके।

5. अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी केवल निविदा को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया के दौरान तक ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि उनके द्वारा कॉर्पोरेट ईमेल आईडी जो प्रदान किए गए मान्य हैं और एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय अपडेट किए गए हैं। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

6. निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा तक नहीं पहुंचा जा सकता है।

7. <u>ई-टेंडर में बोली:</u>

क. ई-टेंडर में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए विक्रेता (ओं) को आवश्यकरूप से ईएमडी और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करने की आवश्यकता है। लेन-देन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
ख. इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

ग. जिन विक्रेताओं ने लेन-देन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं: www.mstcecommerce.com → ई-खरीद →पीएसयू / सरकारी विभाग → आरबीआई के तहत लॉगिन → माई मेनू → नीलामी फ्लोर प्रबंधक → लाइव ईवेंट → लाइव इवेंट का चयन

घ. विक्रेता को जावा अनुप्रयोग रन करने की अनुमति देनी चाहिए। यह कार्य बोली फ्लोर खुलने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तों / वाणिज्यिक विनिर्देश को भरना होगा और उसी को बचाना होगा। उसके बाद टेक्निकल बिड पर क्लिक करें। यदि यह अनुप्रयोग नहीं रन किया जाता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सेव करने/सबमिट करने में सक्षम नहीं होगा।

ङ. तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव करें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर विक्रेता को अपनी वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव करें'पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार जब तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों को सेव कर लिया जाता है, तो विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

च. विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए *अटैच डॉक बटन* का उपयोग करें । कई दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं।

छ. सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

ज. पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए और हर किसी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

झ. ई-टेंडर फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से और उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

ञ. ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली के रूप में माना जाएगा और बैंक द्वारा इसे स्वीकार करने से यह बैंक और विक्रेता के बीच आपूर्ति के निष्पादन के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध

होगा।

ट. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाती हैं अन्यथा इसे सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ठ. भारतीय रिजर्व बैंक के कोई कारण को बताए बिना पास पूर्ण या भाग में निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने, जैसा भी मामला उसके हो, का अधिकार है ।

ड. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।

ढ. इस निविदा के परिणामस्वरूप होने वाला कोई भी आदेश इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

ण. तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों के लिए कोई विचलन की अनुमति नहीं है।

त. **भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर को इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली (ओं) की प्राप्ति की नियत तिथि को बिना कोई कारण बताए बढ़ाने का अधिकार है।**

थ. विक्रेताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे विक्रेता गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के के लिए www.mstcecommerce.com/eprochome पर वीडियो देखें।

<u>निविदा का प्रपत्र</u>

दिनांक: / /

सेवा में, स्थान:

श्री एच एन पंडा
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

महोदय,

विषय: भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर, ओडिशा में मुख्य कार्यालय परिसर में विद्‌युत अनुरक्षण कार्य हेतु तकनीकी सहायक के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध

इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित ड्राइंग, विनिर्देशों, डिजाइन और मात्रा की अनुसूची की जांच करने और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की साइट की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाली उससे संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं / हम एतद्द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर मात्राओं की संलग्न अनुसूची (भाग II) में उल्लिखित दरों पर और सभी प्रकार से निर्दिष्ट विनिर्देशों और निविदा की शर्तों, करार की शर्तें, अनुबंध की विशेष और सामान्य शर्तें में लिखित निर्देशों के अनुसार और उल्लिखित सामग्री के साथ तथा अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों,जहां तक वे लागू हों, के अनुसार,निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

ज्ञापन

क्रम सं	कार्य का विवरण	**भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर, ओडिशा में मुख्य कार्यालय परिसर में विद्‌युत अनुरक्षण कार्य हेतु तकनीकी सहायक के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध**
क	अनुमानित लागत	**₹7,31,000/-**
ख	बयाना जमा राशि	**₹14,620/- (अनुमानित लागत का 2% - केवल सफल बोलीकर्ता से)**
ग	बिल से कटौती किया जाने वाला, प्रतिशत	**शून्य**
घ	निष्पादन बैंक गारंटी	**शून्य**

2. यदि इस निविदा को स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम इसके द्वारा अनुबंध की उक्त शर्तों के नियमों और प्रावधानों का, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, पालन करने और उन्हें पूरा ना करने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को जब्त करने और भुगतान करने के लिए के लिए सहमत हैं ।

3. **सफल बोलीकर्ता/निविदाकर्ता को सूचित किया जाता है कि** वे निविदा के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के **पास बयाना जमा राशि के रूप में ₹14,620/- (केवल सफल बोलीकर्ता के लिए) जमा/जमा** करें, साथ ही जिस राशि पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि मैं/हम ऐसा करने के लिए मांग किए जाने पर अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

हमारे बैंकर हैं (पूरा पता)

(i)	
(ii)	

हमारी कंपनी के भागीदारों के नाम हैं:

(i)	
(ii)	

हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत फर्म के भागीदार का नाम	
या	
अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी वाले व्यक्ति का नाम (पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए)	

भवदीय,

ठेकेदार के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर और पते

	हस्ताक्षर	पता
(i)		
(ii)		

करार की शर्तें

यह करार एक ओर भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400001 में है (जिसे इसके बाद " नियोक्ता " कहा गया है) और दूसरी ओर से ____, जिसका पंजीकृत कार्यालय __________________ में है (जिसे इसके बाद "ठेकेदार " कहा गया है) के बीच ___________________ को संपन्न किया गया। जबकि बैंक निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में उल्लिखित कार्य का वर्णन करने वाले विनिर्देशों के अनुसार <u>भा.रि.बैंक भुवनेश्वर, ओडिशा में मुख्य कार्यालय परिसर में विद्युत रखरखाव कार्य के लिए तकनीकी परिचारक के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध</u> का कार्य बैंक के <u>मुख्य कार्यालय परिसर</u> में करवाने के लिए इच्छुक है। और, जबकि ठेकेदार निविदा/कोटेशन(जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तों" के रूप में संदर्भित किया गया है) में निर्धारित शर्तों के अधीन, जिसमें संबंधित दरों पर राशि निर्धारित की गई है __________________ ["अनुबंध राशि"] जो कि ________ से _____________ तक की अवधि के लिए कोटेशन / वर्क ऑर्डर में उद्धृत दर पर / जैसा कि उसमें आया है या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय होगी निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है ।

एतद् द्वारा अब निम्नानुसार सहमति हुई है

1. ठेकेदार कथित शर्तों में उल्लिखित समय और नियत तरीके से कथित ठेका राशि के भुगतान करने के मद्देनज़र , कथित शर्तों के अधीन विनिर्देशों में वर्णित और दर्शाए गए काम को पूरा करेगा।

2. बैंक ,ठेकेदार को कथित ठेका राशि अथवा समय- समय पर देय होनेवाली अन्य राशि तथाकथित शर्तों में विनिर्दिष्ट तरीके से अदा करेगा।
3. उपरोक्त वर्णित शर्तों में भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के संपदा विभाग के सहायक महाप्रबंधक(संपदा/तकनीकी), नियोक्ता की ओर से कार्य करेंगे।
4. उक्त शर्तों और उनके परिशिष्ट को इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा और इसके पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, स्वयं को उक्त शर्तों के अधीन करेंगे और उक्त शर्तों में उल्लिखित अनुसार क्रमशः अपनी ओर से अनुबंधों का पालन करेंगे।
5. इसमें उल्लिखित प्लान ,करार एवं दस्तावेज इस ठेके के आधारभूत घटक होंगे।
6. बैंक के पास इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना काम की मात्रा और काम की प्रकृति बदलने ,कोई मद जोड़ने या किए गए काम की मद को निकालने का अधिकार सुरक्षित होगा।

7. इस ठेके के अंतर्गत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल भुवनेश्वर में किए जाएंगे।

8. इस करार के तहत या इससे जुड़े किसी भी कारण से उत्पन्न विवाद भुवनेश्वर में उत्पन्न विवाद समझा जाएगा और उसके निपटान का क्षेत्राधिकार भुवनेश्वर में ही स्थित न्यायालयों का निर्धारित क्षेत्राधिकार होगा।
9. इस संविदा के अलग-अलग भागों को ठेकेदार ने पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है।
10. इस अनुबंध का भावी नवीनीकरण ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई संतोषजनक सेवाओं और दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति की शर्तों के अधीन होगा।
11. कार्य आदेश पत्र ____ दिनांक____________________ समझौते के हिस्से के रूप में होगा।
12. ठेकेदार द्वारा टेंडर/ संविदा दर में एएमसी से संबंधित सभी नियम और शर्तों को माना जाएगा।

13. गैर-प्रकटीकरण खण्ड - 'ठेकेदार बैंक की आधारभूत संरचना / प्रणालियों / उपकरणों आदि के संबंध में कोई सूचना, सामग्री और ब्यौरे, जो ठेकेदार को करार के संबंध में अनुबंधजात बाध्यताओं को पूरा करने के क्रम में पता चलता है अथवा उसके अधिकार में आ जाता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और सर्वदा इन्हें अत्यंत गोपनीय रखेगा । ठेकेदार अनुबंध के ब्यौरों को, सिवाय उस आवश्यक सीमा तक जो लागू नियमों के अनुपालन अथवा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, निजी व गोपनीय समझेगा । ठेकेदार कार्य के विवरण किसी व्यापार अथवा तकनीकी पत्र अथवा कहीं अन्य नियोजक के बिना लिखित पूर्वानुमति के प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशन की अनुमति नहीं देगा अथवा प्रकट नहीं करेगा । ठेकेदार नियोजक को किसी गोपनीय सूचना के प्रकटीकरण के फलस्वरूप होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करेगा । उक्त के पालन में चूक को ठेकेदार के स्तर पर अनुबंध का उल्लंघन समझा जाएगा और नियोजक को क्षतिपूर्ति के दावे का और विधिक उपचारों को प्राप्त करने के उद्योग का अधिकार होगा । ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस करार के अधीन गोपनीय सूचनाओं का प्रकटीकरण न होने की अपेक्षाओं का पालन किया जा रहा है, समस्त उचित कार्रवाई करेगा । ठेकेदार के प्रकट न करने और गोपनीयता के बरकरार रखने के कर्तव्य किन्हीं कारणों से इस करार की समाप्ति के स्थिति में भी कायम रहेगा ।"

14**. यौन उत्पीडन**

ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगा । बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के सामने दर्ज की जाएगी और ठेकेदार शिकायत के संबंध में उस अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा । बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में ली जाएगी। ठेकेदार के कर्मचारियों के शामिल होने के मामले में, मसलन, यदि एजेंसी के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है तो बैंक के कर्मचारी को किसी मौद्रिक राहत के भुगतान करने की आवश्यकता होने पर ठेकेदार किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए ज़िम्मेदार होगा । ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के संबंध में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

15. **अधिशासी भाषा**

यह करार अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में निष्पादित किया गया है। अगर इस करार के हिंदी अनुवाद अंग्रेजी संस्करण के साथ कोई विरोध हो या उसमें अधिक शर्तें दी गई हो अथवा वह अंग्रेजी संस्करण से भिन्न हो तो, अंग्रेजी संस्करण अभिभावी माना जाएगा। बैंक और ठेकेदार ने इस बारे में साक्ष्य स्वरूप अपने-अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के माध्यम से निष्पादित किए और ठेकेदार ने इसकी दोनों प्रतियों पर अपनी सामान्य मुहर लगाई इसकी दो प्रतियों पर उसकी ओर से इन्हें उक्त दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के
श्री...
(नाम तथा पदनाम)
द्वारा निम्न की उपस्थिति में
हस्ताक्षरित व सुपुर्द

1..
पता

ठेकेदार की ओर से
श्री...
द्वारा निम्न की उपस्थिति में
हस्ताक्षरित व सुपुर्द

1..
पता

भाग I - निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश

परिचय

1. **भारतीय रिजर्व बैंक भुवनेश्वर, ओडिशा में मुख्य कार्यालय परिसरों में विद्युत अनुरक्षण कार्य के लिए तकनीकी सहायक प्रदान करने के लिए** वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए एमएसटीसी पोर्टल पर ई-निविदा के माध्यम से बैंक के सूचीबद्ध विक्रेताओं से ई-निविदाके माध्यम से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा के स्कैन किए गए और हस्ताक्षरित भाग I को मूल्य बोली (भाग II) के साथ एमेसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना है।

2. कोई भी निविदाकर्ता किसी भी परिस्थिति में 22 अगस्त, 2022 की दोपहर 2:00 बजे के बाद निविदा के लिए बोली लगाने में सक्षम नहीं होगा।

3. निविदा का भाग I 22 अगस्त, 2022 को दोपहर 3:00 बजे **श्री एच एन पंडा, क्षेत्रीय निदेशक**, संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर या उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित किसी अन्य द्वारा निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, यदि वे उपस्थित होना चुनते हैं, उनके कार्यालय में खोला जाएगा । भाग-II को खोलने की तारीख का निर्णय भाग-I के दौरान अपलोड किए गए दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद बैंक द्वारा किया जाएगा।

4. निविदाएं निविदा के भाग-II के खुलने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए खुली रहेंगी, जिस अवधि को पारस्परिक समझौते द्वारा बढ़ाया जा सकता है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

टेंडर की तैयारी

5. ई-निविदा दो भागों में तैयार और ऑनलाइन जमा की जाएगी, अर्थात क्रमशः भाग I और भाग II "भाग I - तकनीकी और वाणिज्यिक" और "भाग II - मूल्य" ।

6. प्रत्येक निविदा दस्तावेज को निविदा जमा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित माना जाना चाहिए और उनके अनुबंध की सामान्य शर्तों, विशिष्टताओं, विशेष शर्तों आदि से परिचित होने के बाद लिया जाता है।

7. निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की किसी भी सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. निविदाकर्ता को अपने स्वयं के उत्तरदायित्व पर और अपने स्वयं के खर्च पर सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा बनाने और अनुबंध करने के लिए आवश्यक हो सकती है और निविदा की आवश्यकताओं की जांच करनी चाहिए और साइट का निरीक्षण करना चाहिए कार्य और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधन, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से खुद को परिचित कराना होगा ।

9. इच्छुक निविदाकर्ताओं की एक पूर्व-बोली बैठक (ऑफ-लाइन मोड) 12 अगस्त, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे संपदा विभाग, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। विधिवत भरे हुए निविदा दस्तावेज 22 अगस्त, 2022 को दोपहर 2:00 बजे तक एमएसटीसी साइट पर अपलोड किए जाएंगे। इस बैठक के लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि

वे उपस्थित रहें और निविदा दस्तावेजों का अध्ययन करें। वे किसी भी बिंदु/शर्तों/विशिष्टताओं का संकेत दे सकते हैं जिन्हें बैठक के दौरान स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी निविदाकारों को उपयुक्त रूप से सूचित किया जाएगा । निविदाकारों से इस बैठक के दौरान सभी मुद्दों को स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है और इसलिए उन्हें अपनी तकनीकी (भाग I) और मूल्य बोलियों (भाग II) में बैंक की निविदा शर्तों / विशिष्टताओं से विचलित होने से बचना चाहिए। यदि आवश्यक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है या अपलोड नहीं किया गया है, तो निविदा को बैंक द्वारा अपने विवेक पर अमान्य माना जा सकता है।

10. निविदा के भाग-I को बोली लगाने वाली पार्टी के सक्षम व्यक्ति द्वारा अपलोड करने से पहले विधिवत रूप से सील और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

बोली की तैयारी

11. आरबीआई भुवनेश्वर, ओडिशा में मुख्य कार्यालय परिसर में विद्युत रखरखाव कार्य के लिए तकनीकी परिचारक प्रदान करने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए निविदा की पूरी तरह से जांच की गई है। निविदा का भाग-I और भाग-II भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर [एमओपी] के लिए लागू है।

निर्धारित प्रपत्र में निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी - भाग-I तकनीकी और भाग-II वित्तीय.

<u>तकनीकी बोली:</u> निविदा के भाग-I में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें (मूल्य बोली नहीं), निविदा का कवरिंग पत्र शामिल होगा।

(i) अनुभाग I से III तकनीकी बोली का हिस्सा हैं।
(ii) बोलीदाता को विभिन्न वर्गों में निर्दिष्ट सभी विवरणों को भरना होगा।
(iii) ईएमडी तकनीकी बोली (केवल सफल बोलीदाता) का हिस्सा होगा।
(iv) निविदा प्रस्तुत करने से पहले सभी अनुलग्नकों को भरा जाना चाहिए।

<u>वित्तीय बोली:</u>निविदा के भाग-II में कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन केवल निविदाकर्ता की मूल्य बोली होगी।

बोली लगाने के लिए केवल एक लॉट / आइटम है लेकिन 2 हेडर के साथ:

लॉट 1: एमओपी में विद्युत रखरखाव कार्य के लिए तकनीकी सहायक प्रदान करने का एएमसी

शीर्ष लेख: 1, 2

शीर्ष लेखों का विवरण:

<u>पहला शीर्ष लेख - श्रम घटक में शामिल होगा -</u> वैधानिक भुगतान के लिए विक्रेता को लागत या न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफओ, ईएसआईसी योगदान, आदि के लिए कुशल श्रमिकों को 12 महीने (312 दिन यानी 26 * 12 दिन) के लिए (2 - कुशल), 2 श्रमिकों के लिए अनिवार्य भुगतान । **इसमें जीएसटी या कोई अन्य कर शामिल नहीं होना चाहिए।**

<u>दूसरा शीर्ष लेख - गैर-श्रम घटक और कर में शामिल होंगे -</u> प्रशासनिक लागत के लिए विक्रेता की लागत, ओवरहालिंग शुल्क प्लस लाभ मार्जिन यानी, न्यूनतम मजदूरी के ऊपर के और अधिक सभी भुगतान, व्यवसाय चलाने के लिए प्रशासनिक शुल्क (जैसे वर्दी के प्रावधान की लागत, कर्मचारियों को सुविधाएं और अन्य खर्चों आदि

के लिए), लाभ मार्जिन और जीएसटी।

नोट: जीएसटी की गणना ईपीएफ / ईएसआईसी योगदान पर नहीं की जानी चाहिए।

उद्धृत दरें 12 महीनों के लिए होनी चाहिए और **जीएसटी सहित** इसमें सभी आकस्मिक शुल्कों को शामिल करना चाहिए।

इस खंड के प्रयोजनार्थ, यह उल्लेख किया जाता है कि न्यूनतम मजदूरी (31 मार्च, 2022 के नवीनतम भारत सरकार के आदेश के अनुसार) 01 अप्रैल, 2022 के प्रभाव से अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल कामगार के लिए क्रमश 553/-, 625/- रुपये और 734/- रुपये प्रति दिन हैं।

13. वित्तीय बोली बैंक के विवेक पर अस्वीकार की जा सकती है**,** यदि:
    - उपरोक्त दरों और प्रतिशत में से कोई भी संबंधित वैधानिक कानूनों के अनुपालन में नहीं पाया जाता है।
    - प्रथम शीर्षलेख में उद्धृत दर न्यूनतम वेतन के अनुसार बैंक के अनुमान से अर्थात **₹5,32,443.60/-** ((312*(734*2))*1.1625) कम है ।
    - **दूसरे हेडर में उद्धृत दर शून्य है (जीएसटी को छोड़कर) या बैंक के विवेक के अनुसार उचित नहीं है।**

14. निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की किसी भी सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।

निविदा दस्तावेज में संशोधन

15. (a) बोलियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, बैंक, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या संभावित बोलीकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के जवाब में, निविदा को संशोधन / परिशिष्ट द्वारा संशोधित कर सकता है।.

    (b) इस तरह के किसी भी संशोधन को एमएसटीसी / आरबीआई की वेबसाइट पर डाला जाएगा। जारी किए गए परिशिष्ट (ओं) / शुद्धिपत्र (ओं) निविदा दस्तावेज का हिस्सा होंगे।

16. संभावित बोलीकर्ताओं को ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेकाधिकार पर बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा का विस्तार कर सकता है।

नियोक्ता का अधिकार

17. (a) भारतीय रिज़र्व बैंक स्वयं को सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित करता है।

बयाना जमा राशि (ईएमडी)

18. सफल निविदाकार को बयाना जमा राशि के रूप में ₹14,620/- की राशि का भुगतान करना होगा जो या तो किसी अनुसूचित बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के पक्ष में जारी डिमांड ड्राफ्ट या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा अनुमोदित प्रारूप में जारी बैंक गारंटी द्वारा या कार्य आदेश जारी करने से पहले या बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार एनईएफटी द्वारा करना होगा ।

किसी भी परिस्थिति में बयाना जमा राशि को बैंक या बीमा गारंटी या चेक की सावधि जमा रसीद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. नियोक्ता से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह (14) दिनों के भीतर, सफल निविदाकर्ता समझौते के प्रारूप लेखों के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। इसके अलावा, किसी निविदा की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिखित स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक और इस प्रकार निविदा करने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का काम करेगा, भले ही इस तरह के औपचारिक समझौते को बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)/सुरक्षा जमा (एसडी)

20. (a) बैंक/नियोक्ता से अपनी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता को निविदा जारी होने की तारीख से दस (10) कार्य दिवसों के भीतर कुल निविदा राशि के 5% के बराबर पीबीजी जमा करना होगा। बैंक द्वारा उक्त सूचना, जिसके विफल होने पर सफल निविदाकर्ता सहमत होता है कि उसके द्वारा ईएमडी बैंक को जब्त कर ली जाएगी। निर्धारित प्रारूप में जमा किया गया पीबीजी शुरू में निविदा अवधि की अवधि के लिए अर्थात 3 वर्ष के लिए वैध रहेगा और निविदा अवधि के विस्तार के मामले में कार्य के अंतिम समापन तक उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा। इस पीबीजी का समय-समय पर पुनर्वैधीकरण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह काम पूरा होने की तारीख तक वैध और पूरी तरह से लागू रहता है। यदि सफल निविदाकर्ता अनुबंध को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने में विफल रहता है, तो पीबीजी को रद्द/नकद कर लिया जाएगा और बैंक को जब्त कर लिया जाएगा। **(NA)**

(b) सफल निविदाकर्ता की ईएमडी बैंक द्वारा सुरक्षा जमा के रूप में रखी जाएगी और शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी और निविदा की अवधि के लिए उपयुक्त रूप से तीन साल तक बढ़ाई जाएगी। बैंक को प्रत्येक वर्ष एसडी की राशि की समीक्षा करने और ठेकेदार को नवीनीकृत अनुबंध मूल्य के बराबर एसडी जमा करने की सलाह देने का अधिकार है। नियोक्ता द्वारा रखी गई सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं होगा। यदि सफल निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार अनुबंध को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने में विफल रहता है, तो एसडी को रद्द/नकदीकृत कर लिया जाएगा और बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

(c) यदि ठेकेदार ऐसा अनुरोध करता है, तो सुरक्षा जमा को एक अनुमोदित अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी के रूप में नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्रोफार्मा में निविदा की अवधि के लिए रखा जा सकता है, अर्थात पहली तारीख से 3 वर्ष कार्य आदेश।

एसडी की वापसी

21. जमानत राशि ठेकेदार को बिना किसी ब्याज के यथा समय अर्थात् निविदा की सफलतापूर्वक समाप्ति पर, जहां कार्यकाल के दौरान संतोषजनक सेवाएं प्रदान की गई है, वापस कर दी जाएगी। इस अनुबंध के नियमों और शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को उसके एसडी से काटा जा सकता है,

यदि राशि ऐसा करने की अनुमति देती है और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा राशि अन्यथा देय न हो, दस दिनों के भीतर ऐसी कटौती के बाद, इतनी कटौती की गई राशि के बराबर मूल्य के डिमांड ड्राफ्ट या एनईएफटी द्वारा इसकी पूर्ति करे।

असाइनमेंट / अनुबंध को सब-लेट करना

22. ठेकेदार किसी दूसरे व्यक्ति को ठेका नहीं सौंपेगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी भी हिस्से को सबलेट नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में**,** नियोक्ता अनुबंध को रद्द करने के लिए ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है**,** जिसके बाद सुरक्षा जमा नियोक्ता द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

23. ठेकेदार सभी कार्यों को बैंक के इंजीनियर के तकनीकी विवरण और निर्देशों के अनुसार सख्ती से करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर की राय में तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन करना है और नियोक्ता के लिखित में पूर्वानुमोदन के साथ, वे चाहते हैं कि ठेकेदार इसे पूरा करे, तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा।

ठेकेदार अपनी कीमत पर सब कुछ प्रदान करेगा

24. ठेकेदार अपनी लागत पर निविदा के आशय और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करेगा। इसमें वर्दी, उपकरण, गैजेट्स, या ठेकेदार के सर्वोत्तम विवेक में कोई भी वस्तु शामिल हो सकती है।

निविदाकर्ता स्वयं को पूरी तरह से अवगत रखें:

25. (a) यह माना जाएगा कि निविदाकर्ता ने श्रम, सामान्य और विशेष परिस्थितियों, विशिष्टताओं, अनुसूचियों और कार्यक्षेत्र सहित कार्य और साइट की स्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच की है और यह माना जाएगा कि उन्होंने कार्य स्थल का दौरा किया है और स्थानीय परिस्थितियों के बारे में खुद को पूरी तरह से अवगत कराया है और निविदा में उद्धृत दरों पर पहुंचने के लिए अपनी स्वयं की जांच की। इस संबंध में उन्हें विभाग के पास उपलब्ध आवश्यक जानकारी दी जाएगी लेकिन इसकी सटीकता की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी।

(b) यदि निविदाकार को सामान्य शर्तों के किसी भाग, या विशेष शर्तों, या कार्य के दायरे या विशिष्टताओं या अनुबंध से संबंधित किसी अन्य मामले के अर्थ के बारे में कोई संदेह होगा, तो वह अपनी निविदा जमा करने से पहले समय रहते उसके विवरण लिखित रूप में नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा ताकि निविदा से पहले इस तरह के संदेह को लिखित रूप में आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया जा सके। एक बार निविदा प्रस्तुत करने के बाद इस तरह के प्रामाणिक पूर्व-स्पष्टीकरण के अभाव में मामले को निविदा शर्तों के अनुसार तय किया जाएगा।

(c) सफल निविदाकार को नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि काम कम से कम विलंब से और नियोक्ता की संतुष्टि के अनुरूप सुचारू रूप से आगे बढ़े।

त्रुटियाँ, चूक और विवरण

26. (क) आंकड़ों और शब्दों में लिखी गई दरों के बीच अंतर के मामले में, मूल निविदा प्रपत्र में मद की कुल राशि का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई दर को सही माना जाएगा। अन्य सभी मामलों में, सही दर वह होगी जो कम है।

(ख) निविदा और मूल निविदा की डुप्लिकेट/बाद की प्रतियों के बीच, मूल को प्रामाणिक के रूप में लिया जाएगा।

(ग) किसी मद या विनिर्देश में चूक और/या संदेह या विसंगतियों के सभी मामलों में प्रबंधक (तकनीकी) / सहायक प्रबंधक (तकनीकी), संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर को संदर्भित किया जाएगा, जिसकी व्याख्या, विस्तार या निर्णय को प्रामाणिक माना जाएगा। ठेकेदार को इस तरह के संदर्भ और सावधानी की कमी के कारण कार्य में होने वाली किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

श्रम कानून

27. (a) संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और अन्य सभी संगत सांविधिक अधिनियमों (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि) के तहत निर्धारित सभी अपेक्षाओं का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा। यदि इस कार्य के लिए नियोजित श्रमिकों की संख्या बीस या उससे अधिक है, तो ठेकेदार क्षेत्रीय श्रमायुक्त से लाइसेंस प्राप्त करेगा। ठेकेदार क्षेत्रीय श्रमायुक्त द्वारा अपेक्षित सभी रजिस्टरों/दस्तावेजों को कार्य स्थल पर बरकरार रखेगा और आवश्यकतानुसार बैंक या उसके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना चाहिए।

(b) सफल निविदाकर्ता को न्यूनतम मजदूरी और संविदा श्रम अधिनियमों का पालन करना होगा और अपने कामगारों को इस अधिनियम के अनुसार भुगतान करना होगा । मौजूदा कानून के अनुसार उसका उचित रिकॉर्ड को बनाए रखेगा । कार्य के लिए तैनात कामगारों/श्रमिकों को **सीएलसी/ संविदा श्रम अधिनियम** में प्रावधान के अनुसार **न्यूनतम मजदूरी** और अन्य पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

(c) क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर के कार्यालयों के पास इस अनुबंध के तहत श्रम कानून और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के कार्यान्वयन का अधिकार क्षेत्र होगा ।

(d) ठेकेदार को सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार के कार्यालय से, यदि लागू हो, तो लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित होगा, जैसा कि संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) के तहत उपबंधित किया गया है, और जैसा कि धारा 21 संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के साथ पठित है और उपर्युक्त अधिनियम या लागू किसी अन्य कानून की अन्य आवश्यकताओं का भी अनुपालन करना होगा, ऐसा न करने पर वह अकेले ही उसे सुनिश्चित करने वाली कार्रवाइयों/कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी होगा। बैंक को ठेकेदार के कृत्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी तरह से ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिकों के प्रति बैंक को उत्तरदायी नहीं माना जाएगा।

28. ठेकेदार निम्नलिखित का पालन करना चाहिए और इस संदर्भ में वैध लाइसेंस, यदि कोई हो, अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान धारित रखना चाहिए:

a) संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
b) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1956
c) बाल रोजगार अधिनियम 1923
d) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
e) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 और उक्त अधिनियम के तहत बनाई गई योजना।
f) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948

सहायक श्रमायुक्त, नगर पालिका और अन्य स्थानीय एजेंसियों/निकायों से आवश्यक लाइसेंस/स्वीकृतियां आदि अपनी लागत पर, जो भी आवश्यक हो, ठेकेदार प्राप्त करें।

29. ठेकेदार को उनके द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों/कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। ठेकेदार को एनईएफटी मैन्डेट/ पासबुक प्रतियां / क्रेडिट अलर्ट / प्रमाण पत्र इस आशय के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि, विवरण के अनुसार उसने वास्तव में उसके द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों के सभी बकायों का भुगतान उस दर पर किया है जो कटौती के बाद न्यूनतम मजदरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं है, और प्रयोज्य कानूनों के तहत और उन्होंने ठेका श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में सीएलआरए अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अलावा, वह बैंक के प्रतिनिधि को ऐसे दस्तावेजों को सत्यापित करने और अधिप्रमाणित करने की सुविधा प्रदान कर सकता है।

ठेकेदार का नाम और पता: **दिनांक:**

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील: **स्थान:**

भाग II - निविदाकर्ताओं के लिए विशेष शर्तें

कामगारों की बर्खास्तगी / नियुक्ति

1. ठेकेदार नियोक्ता के अनुरोध पर, उसके द्वारा नियोजित कोई भी व्यक्ति जो नियोक्ता की राय में, अक्षम या कदाचार प्रदर्शित करनेवाला हो, को कार्यों से तुरंत बर्खास्त कर देगा, और ऐसे व्यक्तियों को नियोक्ता की अनुमति के बिना कार्यों पर फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार को कार्य के लिए लगे किसी भी श्रमिक को बर्खास्त करने से पहले बैंक को सूचित करना होगा ।

भुगतान

2. भुगतान निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद, जीएसटी चालान के प्रति मासिक आधार पर किया जाएगा:
   a) उपस्थिति रजिस्टर / शीट की प्रति - कॉलोनी के केयरटेकर / सहायक सीटी द्वारा सत्यापित।
   b) ईपीएफ जमा करने को दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्रति - संयुक्त चालान, ईसीआर, भुगतान रसीद
   c) ईएसआईसी के प्रस्तुतीकरण को दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्रति - चालान, भुगतान रसीद।
   d) कामगारों को भुगतान का प्रमाण - एनईएफटी मैन्डेट / क्रेडिट रसीदें / खाता विवरण।
   e) शिकायतों का विवरण – प्राप्त / निपटान की गईं /बकाया
   f) किए गए किसी भी निवारक रखरखाव कार्य का विवरण।
   g) बैंक के अनुमोदन से खरीदी गई सामग्री (यदि कोई हो) का विवरण।
   h) संपदा विभाग के प्रभारी द्वारा यथानिर्देशित लॉगबुक / दस्तावेज़।

ई-बैंकिंग मोड के माध्यम से श्रमिकों को भुगतान किया ठेकेदार के लिए अपेक्षित है, ऐसा करने में विफल रहने पर, बैंक प्रयोज्य धारा के खंड 6 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

इस संविदा/ किसी अन्य ठेकेदार द्वारा कार्य के कारण दोष

3. अनुबंध के दौरान दिखाई दे सकने वाले कोई भी दोष, जो अनुबंध के अनुसार सामग्री या कारीगरी से बैंक के इंजीनियर की राय में उत्पन्न हो सकते हैं, बैंक के इंजीनियर के लिखित निर्देशों पर, और ऐसे उचित समय के भीतर जो इसमें निर्दिष्ट किए जाएंगे उसे ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपनी लागत पर सुधारा जाएगा और सही किया जाएगा और इस संदर्भ में चूक के मामले में बैंक अन्य ठेकेदारों को इस तरह के दोषों को सुधारने और ठीक करने के लिए नियुक्त कर सकता है और भुगतान कर सकता है, और इसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, हानि और खर्चों को बैंक द्वारा अदा किया जाएगा और किसी भी देय या निर्दिष्ट समय पर देय होनेवाली राशि को बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर बैंक द्वारा ठेकेदार से वसूला जाएगा । बैंक ठेकेदार द्वारा इस तरह के संशोधन और ठीक करने के बदले में, बैंक द्वारा इस संदर्भ में किए गए किसी भी खर्च के साथ, ठेकेदार को इस तरह के कार्य में संशोधन करने की लागत के बराबर किसी भी राशि में से कटौती कर सकता है और यदि राशि अपर्याप्त होती है, ठेकेदार से शेष राशि की वसूली कर सकता है ।

यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा नामित या अनुमोदित कार्यों पर नियोजित किसी उप-ठेकेदार द्वारा दोषपूर्ण कार्य किया गया है या दोषपूर्ण सामग्री की आपूर्ति की गई है, तो ठेकेदार उसी तरह से ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ठेकेदार द्वारा इस तरह का कार्य या सामग्री की गई थी या आपूर्ति की गई थी। ठेकेदार किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी भुगतान को अनुमोदित किए जाने के बावजूद इस खंड के प्रावधान के तहत उत्तरदायी रहेगा।

नियोक्ता के निर्देशों का पालन करने के लिए ठेकेदार की विफलता

4 . यदि ठेकेदार दस (10) दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता वाले नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद इस तरह के आगे का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और भुगतान कर सकता है जो भी उसे लागू करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और इसके संबंध में किए गए सभी लागत नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से वसूली योग्य होगी या ठेकेदार से उसे देय किसी भी राशि से उसकी कटौती की जा सकती है।

दण्ड

5. यदि तकनीकी कार्य के दायरे के अनुसार अपेक्षित किसी कामगार के मामले में किसी भी दिन या एक निर्धारित अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है और ठेकेदार उक्त दिन या अवधि के लिए एक वैकल्पिक कामगार की व्यवस्था करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता को बिल से अनुपस्थिति के दिनों के लिए अपेक्षित कामगार की दैनिक मजदूरी के बराबर आनुपातिक राशि काटने का अधिकार है। इसके अलावा, यदि नियोजित कामगार शिकायतों के निपटान या किसी भी रखरखाव कार्य को निष्पादित करने में सक्षम नहीं हैं या आधिकारिक घंटों के दौरान परिसर में मौजूद नहीं होता हैं और नियोक्ता ने इस संदर्भ में कार्य को ठीक करने के लिए किसी अन्य श्रमिक (सीधे या किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से) को प्रतिनियुक्त किया है, तो नियोक्ता इस संदर्भ में ठेकेदार के मासिक बिल से निर्धारित कार्य के लिए किसी अन्य ठेकेदार को देय ऐसी किसी भी राशि में कटौती कर सकता है।

यदि ठेकेदार को सूचित किए गए किसी भी दोष (प्रमुख प्रणालियों के संदर्भ में) को चार (04) घंटे के भीतर ठीक नहीं किया जाता है **तो प्रति दिन ₹750/- (केवल सात सौ पचास रुपये) की राशि को अर्थदंड के रूप में लिया जाएगा**। हालांकि, इस खाते पर अधिकतम कटौती आधार संविदा मूल्य के 10% मूल्य से अधिक नहीं होगी।

किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध की समाप्ति

6. <u>नियोक्ता</u>**:** नियोक्ता निर्धारित करता है कि ठेकेदार ने

(i) अनुबंध को छोड़ दिया है, **या**

(ii) कार्य शुरू करने में विफल रहा है, या उन शर्तों के तहत किसी भी वैध कारण के बिना नियोक्ता से कार्य आगे बढ़ाने के लिए नियोक्ता से नोटिस से प्राप्त होने के बाद, चौदह (14) दिनों के लिए कार्यों की प्रगति को बाधित कर दिया है, **या**

(iii) इस तरह के उचित परिश्रम के साथ कार्यों के साथ आगे बढ़ने में विफल रहा है और इस तरह के रखरखाव करने में विफल रहा है जैसा कि सहमत समय के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है, **या**

(iv) साइट से सामग्री को हटाने में विफल रहा है जैसा कि सात (07) दिनों के लिए निविदा में निर्दिष्ट किया गया है लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद कि उक्त सामग्री या कार्य को दोषित करार दिया गया था और इन शर्तों के तहत नियोक्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था **या**

(v) ठेकेदार को आवश्यक अनुपालन और कार्यनिष्पादन के संदर्भ में, लिखित नोटिस दिए जाने के सात (07) दिनों के बाद, यदि उसके द्वारा अनुबंध के तहत सभी या किसी भी अधिनियम, मामलों या सामग्रियों का निरीक्षण करने और निष्पादित करने में लगातार उपेक्षा की गई है या विफलता की गई है **या**

(vi) एक व्यक्ति या एक फर्म होने के नाते यदि वह "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य परिसमापन का आदेश प्राप्त होता है या स्वेच्छा से या अदालत के पर्यवेक्षण और परिसमापक के आधिकारिक असाइनी के अधीन फर्म को बंद करने के लिए एक प्रभावी संकल्प पारित किया जाता है या दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में, जैसा भी मामला हो सकता है, उसे नोटिस दिए जाने के बाद सात (07) दिनों के भीतर, नियोक्ता की उचित संतुष्टि और अपेक्षा के अनुसार वह अनुबंध को निष्पादित करने और पूरा करने और इसके लिए प्रतिभूति देने में सक्षम नहीं होता है **या**

(vii) यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी के रूप में संपत्ति को कुर्क करने वाली अदालत की अन्य प्रक्रिया का सामना करता है, या इस अनुबंध के तहत ठेकेदार के लेनदारों में से किसी की ओर से उसे किसी भी कुर्की का सामना करना होता है **या**

(viii) नियोक्ता के लिखित रूप में सहमति के बिना इस अनुबंध को समानुदेशित या किराए पर किसी ओर ठेकेदार को देता है (सबलेट करता है), **या**

(ix) इस अनुबंध या किसी भी देय भुगतान को प्रभारित या ऋणभारग्रस्त करता है **या**

(x) ईपीएफ / ईएसआईसी को प्रस्तुत करने या सभी नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान (सांविधिक कटौती के बाद) **या** बीमा पॉलिसियों और किसी भी अन्य दस्तावेज के लिए पर्याप्त दस्तावेज / सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जैसा कि लगातार 3 महीनों के लिए निविदा के अनुसार आवश्यक है,

तब और उक्त मामलों में से किसी में भी, नियोक्ता किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में सात (07) दिनों की सूचना देने के बाद, अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

इसके अलावा,इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, दिवंगत हो जाता है, तो नियोक्ता के पास इस तरह अनुबंध की समाप्ति के लिए किसी भी देयता के बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

ठेकेदार की कोई भी देनदारियां, इस संदर्भ में पूरी तरह से लागू रहेंगी जैसे कि अनुबंध में निर्धारित नहीं किया गया था, और जैसे कि बाद में निष्पादित कार्यों को ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया था और नियोक्ता अपने तरीके से कार्यों का अधिग्रहण और सभी उपकरणों, परिसर या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़ी मशीनरी और सामग्री का कब्जा ले सकता है। इस तरह का कब्जा नियोक्ता के विवेक पर होगा कि मामले के आधार पर, उसे ठेकेदार को वापस कर दिया जाए या अलग-अलग ठेकेदारों या अपने कर्मचारियों के माध्यम से उपयोग करने के लिए रखा जाए, और इस संदर्भ में नियोक्ता का निर्णय पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

7. <u>ठेकेदार:</u> यदि नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया में होगा और उपरोक्त राशि के भुगतान के लिए ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को लिखित रूप से नोटिस के दिए जाने के बाद तीस (30) दिनों तक अदा नहीं किया जाता है या यदि नियोक्ता अनुबंध से मुकर जाता है या नियोक्ता के आदेश के तहत या किसी भी न्यायालय के किसी भी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश के अधीन यदि कार्यों को तीन (03) के लिए रोक दिया जाता है तो उक्त मामलों में से किसी में, ठेकेदार को नियोक्ता को लिखित में नोटिस दिए जाने के द्वारा अनुबंध पुनर्निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा और निष्पादित किए गए सभी कार्यों के लिए भुगतान और आपूर्ति की गई किसी भी सामग्री या अनुबंध के उद्देश्य के प्रति तैनात श्रमिकों पर किए गए व्यय के प्रति, वह नियोक्ता से वसूली करने का हकदार होगा।

अनुबंध का नवीकरण

8. (a) सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई संतोषजनक सेवाओं के अधीन और यदि बैंक ऐसा चाहे तो इस संविदा पर पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों पर आगे के नवीकरण के लिए विचार किया जा सकता है।

(b) सेवा संविदा प्रारंभ में 31 मार्च, 202 तक वैध होगी और संतोषजनक निष्पादन के अधीन इसे दो वित्तीय वर्षों (एक समय में एक वर्ष) के लिए और नवीनीकृत किया जा सकता है।

(c) संविदा के नवीकरण करने पर दरों में संशोधन लागत वृद्धि के आधार पर किया जा सकता है। करों/शुल्कों को छोड़कर लागत (गैर-श्रम घटक) में प्रतिशत वृद्धि की गणना निम्नांकित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी

$$AC = AP\ (15 + 85 \times (CPIc/CPIp)) \times 1/100$$

जहां, एसी और एपी क्रमशः संशोधित मूल्य [*चालू वर्ष*] और वर्तमान मूल्य [*पिछले वर्ष*] हैं, और सीपीआईसी और सीपीआई क्रमशः चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से पहले 6 महीने के लिए अखिल भारत के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं।

अनुबंध की दर में संशोधन

09. (a) संविदा दरों के गैर-श्रम घटक को मौजूदा भाग के खंड 8 में दिए गए फार्मूले के रूप में एक बार संशोधित किया जाएगा।

(b) श्रम आयोग के प्रमुख द्वारा न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के संदर्भ में श्रम घटक को दो बार संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा, सांविधिक भुगतान में कोई भी संशोधन या परिवर्तन सक्षम विभाग द्वारा प्रासंगिक अधिनियमों के तहत किसी भी संशोधन के आधार पर किया जाएगा।

समग्र दर हमेशा और केवल श्रम और गैर-श्रम घटकों को जोड़कर प्राप्त की जाएगी।

बीमा उपखंड / नियोक्ता को क्षतिपूर्ति

10. (a) ठेकेदार बैंक के संयुक्त नामों में निम्नलिखित जोखिम को कवर करने के लिए अपनी लागत पर बीमा लेगा-

   i. **कार्य की कुल राशि के लिए सभी जोखिम पॉलिसी।**
   ii. **नियोजित कर्मचारियों के लिए कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी।**

(b) ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को सभी चोटों से बचाने के लिए और संपत्ति की सभी संरचनात्मक और सजावटी वस्तुओं की नुकसान से सुरक्षा के लिए तार्किक रुप से कार्य करेगा जो स्वयं या किसी भी नामित उप-ठेकेदार या किसी भी कर्मचारी या किसी भी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, चाहे वह किसी भी तरह से इस अनुबंध के निष्पादन से जुड़ी हुई हो। इस उपखंड में अन्य बातों के साथ-साथ, भवनों को किसी भी प्रकार की क्षति, चाहे वह निकटवर्ती हो या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को किसी

भी क्षति के साथ-साथ इमारतों और कार्यों को ठंड, वर्षा, हवा या मौसम की अन्य बाधा से होने वाली सभी क्षति आदि कारकों को भी शामिल किया जाएगा । ठेकेदार नियोक्ता को इस संदर्भ में क्षतिपूर्ति करेगा और पूर्वोक्त के संबंध में उसे किसी भी ऐसी चोट या व्यक्तियों या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में हानिरहित रखेगा और किसी भी विधायिका के किसी भी अधिनियम के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में या अन्यथा और इस तरह के दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी अधिनिर्णय के संदर्भ में भी नियोक्ता को क्षतिपूरित रखेगा।

(c) ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा, ताकि पूरे अनुबंध के तहत कार्यों को हर संबंध में पूर्ण और सही तरीके से निष्पादित किया जा सके और तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान के प्रति सभी दावों को यथाआवश्यक रूप से पूरा किया जा सके।

(d) ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो जनता या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं, जो कार्यों के संबंध में या इस संदर्भ में परिणामों के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज के संबंध में हो सकते हैं। ठेकेदार भी इसी तरह नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वह कामगार मुआवजा अधिनियम या इस अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान या ठेकेदार या किसी भी उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में प्रयोज्य किसी क़ानून के तहत हो या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में सामान्य कानून में हो और स्वयं के खर्च पर वह इस संदर्भ में नियोक्ता को दावों के खिलाफ क्षतिपूरित रखेगा, अनुबंध के वास्तविक रूप से पूरा होने तक, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक पॉलिसी जो ऐसे जोखिमों के प्रति और अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान प्रयोज्य हो, समय-समय पर नियोक्ता के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करेगा।

(e) ठेकेदार किसी भी ऐसी देयता के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर निर्दिष्ट बीमा पॉलिसियों के दायरे से बाहर हो और वह इस अनुबंध से बाहर किए गए लापरवाह या दोषपूर्ण कार्यनिष्पादन के कारण किसी भी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को हुए आकस्मिक नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा। वह किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के संबंध में और मुआवजे या क्षति के किसी भी अधिनिर्णय के संबंध में भी नियोक्ता को क्षतिपूरित रखेगा।

(f) नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर किसी पूर्वाग्रह के बिना, ठेकेदार के कारण होने वाले किसी भी दावे या क्षति के संबंध में, या किसी भी ऐसे दावे के संबंध में ठेकेदार को देय होनेवाली किसी भी या सभी राशि से नुकसान के संबंध में नियोक्ता किसी भी क्षति, मुआवजे, लागत, शुल्क और व्यय की राशि की कटौती करने का हकदार होगा।

नियोक्ता द्वारा अंततः निर्णय किए जाने वाले मामले

11. निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र (भुगतान को छोड़कर), सभी या किसी भी मामले के संबंध में (जिन मामलों को यहां अपवादस्वरूप मामलों के रूप में संदर्भित किया गया है), नियोक्ता का फैसला अंतिम और निर्णायक और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और इस संदर्भ में पर कोई अपील नहीं की जाएगी। नियोक्ता के किसी भी अन्य निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र या मूल्यांकन या नियोक्ता के किसी भी अस्वीकरण को उसी प्रकार से मध्यस्थता के अधिकार के अधीन निर्णित किया जाएगा और सभी मामलों में उसी तरह से समीक्षा की जाएगी (संदर्भ खोले जाने के प्रावधान सहित) जैसे कि यह नियोक्ता का निर्णय है।

नियोक्ता कामगारों को भुगतान किए गए मुआवजे को वसूल करने का हकदार है

12. यदि, किसी भी कारण से, नियोक्ता कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधान के आधार पर, या किसी भी वैधानिक संशोधनों या उसके पुन: अधिनियमन के आधार पर ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन में नियोजित किसी श्रमिक को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य होता है, तो उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों के लिए पूर्वाग्रह के बिना, नियोक्ता ठेकेदार से इस तरह से भुगतान किए गए मुआवजे की राशि की वसूली करने का हकदार होगा। नियोक्ता को इस अनुबंध के तहत ठेकेदार से या अन्यथा प्रतिभूति जमा से या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी राशि से कटौती करके ऐसी राशि या उसके किसी भी हिस्से को वसूल करने की स्वतंत्रता होगी। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत उसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय इस स्थिति के कि इस संदर्भ में ठेकेदार के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करे और नियोक्ता को सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार पूर्ण प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करे, जो इस संदर्भ में इस तरह के दावे का विरोध करने के प्रभाव में आवश्यक हो सकता है।

कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

13. (a) ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" ('अधिनियम') के उपबंधों का पूर्णत: अनुपालन करने के लिए एकमात्र उत्तरदायी होगा । यदि बैंक के परिसर में ठेकेदार के कर्मचारियों के खिलाफ यौन-उत्पीड़न की कोई शिकायत आती है तो वह शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और ठेकेदार उक्त शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगा ।

(b) बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में ली जाएगी।

(c) यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है तो ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसकी वजह से इस मामले में ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल किया जा सकता है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत।

(d) ठेकेदार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(e) ठेकेदार अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो नियोक्ता के परिसर में तैनात हैं।

गैर-प्रकटीकरण खंड

14.ठेकेदार बैंक की आधारभूत संरचना / सिस्टम / संयंत्र इत्यादि से संबंधित कोई जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वाह करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे अथवा जानकारी में आ सकते हैं, किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और सारे समय इस मामले में अत्यंत कड़ी गोपनीयता बनाए रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी (प्राइवेट) और गोपनीय रूप में रखेगा, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहां इस संविदा के अंतर्गत दायित्वों का निर्वाह करने अथवा प्रयोज्य कानूनों का अनुपालन करने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक हो। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त किए बगैर कार्यों का कोई भी ब्योरा किसी व्यापार में अथवा तकनीकी कागजात में या अन्य कहीं ओर न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान करेगा और न ही प्रकट करेगा। ठेकेदार किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का अनुपालन करने में असफल रहना ठेकेदार के स्तर पर संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक नुकसान की भरपाई का दावा करने और विधिक उपचार करने का हकदार होगा।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कार्रवाई करेगा कि इस करार के अन्तर्गत गोपनीय जानकारी को प्रकट न किए जाने से संबंधित दायित्वों का निर्वाह पूर्णत: संतोषजनक रूप में किया जाता है ।

प्रधान नियोक्ता के लिए क्षतिपूर्ति

15. (a) बैंक निविदा के माध्यम से ठेकेदार द्वारा अपने परिसर में लगाए गए प्रत्येक श्रमिक के लिए ईपीएफ/ईएसआईसी के मानदंडों को कार्यान्वित करने का प्रयास करता है। निविदाकर्ता के लिए बोली लगाने से पहले ईपीएफ/ईएसआईसी आवश्यकताओं का प्रयोग करने के लिए श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। बैंक ईपीएफ/ईएसआईसी मानदंडों की प्रयोज्यता को सत्यापित करने के लिए इस उपखंड से संबंधित किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकता है।

(b) निविदाकर्ता को प्रत्येक माह पोर्टल पर नियोक्ता और कर्मचारी के ईपीएफ/ईएसआईसी अंशदान प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा, यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह ईपीएफ/ईएसआईसी अधिनियमों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान/जुर्माने/अर्थदंड आदि के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति करे।

(c) बैंक को यह अधिकार है कि अपनी संतुष्टि के लिए किसी भी प्रपत्र/विवरण/चालान की मांग कर सकता है कि यह देखा जा सके कि श्रमिकों को ईपीएफ/ईएसआईसी मानदंडों के अनुसार संरक्षित किया गया है और उन्हें केवल सांविधिक कटौती के बाद न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन का भुगतान किया गया है। इसके अलावा, यदि बैंक इस बात से संतुष्ट है कि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहा है, तो बैंक यथा आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है।

ठेकेदार का नाम और पता: **दिनांक:**

ठेकेदार का हस्ताक्षर और सील : **स्थान :**

खंड III – तकनीकी कार्य का दायरा

1. ड्यूटी के घंटे

कार्य घंटे एक दिन में आठ घंटे की अवधि के होगें अर्थात, सप्ताह में छह दिनों **(सोमवार से शनिवार)** के लिए **सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे** तक, एक वर्ष में कुल 312 दिन और ठेकेदार और उसके संबद्ध कार्मिकों को 24 घंटे सक्रिय मोबाइल की सुविधा उपलब्ध होगी।

2. कार्यालय परिसर के लिए श्रमशक्ति

कार्य का स्थान	**आवश्यक श्रमशक्ति**
मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर	**02 कुशल**

(a) दो कुशल इलेक्ट्रीशियन जिनके पास बैंकों, संस्थानों, वाणिज्यिक भवनों, निजी संगठनों, आदि में कम से कम पांच (05) वर्ष के अपेक्षित कार्यअनुभव हो, के साथ वैध लाइनमैन-एमवी लाइसेंस / 650 वोल्ट तक के उपकरणों सहित घरेलू और औद्योगिक स्थापना के लिए अनुमति (राज्य सरकार लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी)। नियोक्ताओं से कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं।

(b) न्यूनतम मजदूरी नियम, 1950 के संदर्भ में, छह (06) दिनों के कार्य के लिए प्रत्येक कामगार को एक (01) का विश्राम का दिन प्रदान किया जाना है। इसलिए, ठेकेदार ऐसे विश्राम के दिनों के लिए वैकल्पिक श्रमिक की व्यवस्था करेगा (केवल तभी जब कुछ कार्य किसी विशेष सप्ताह में रविवार सहित सभी सात दिनों तक विस्तारित होता है)।

(c) यदि कामगार अनुपस्थित है, तो बैंक के इंजीनियर उचित सूचना के साथ, ठेकेदार को ऐसे दिन के लिए वैकल्पिक श्रम की व्यवस्था करना सुनिश्चित करना होगा।

बशर्ते कि इस खंड के प्रयोजनार्थ वैकल्पिक कामगार को भी स्थायी कामगार के रूप में माना जाए और स्थायी कामगार के लिए उपलब्ध सभी सुविधाएं भी ईपीएफ/ईएसआईसी सहित अस्थायी कामगार को प्रदान की जाए।

3. कार्य का दायरा

कार्य का दायरा निम्नलिखित होगा :-

i. बैंक के परिसर के अंदर सभी स्थानों पर बैंक के विद्युत/विद्युत यांत्रिक प्रतिष्ठानों, सीढ़ी की रोशनी, डिस्पेंसरी, पंप रूम, सहकारी समिति, सामान्य क्षेत्र, आदि में खामियों को दूर करने के लिए।

ii. वीआईपी क्षेत्रों जैसे क्षेत्रीय निदेशक महोदय का केबिन, क्षेत्रीय निदेशक महोदय सचिवालय, गवर्नर रूम, डीजी केबिन, बोर्ड रूम आदि के लिए दैनिक आधार पर लागू होने वाले उचित कार्य स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्युत कनेक्शनों, टेलीफोन, केबल टीवी, एसी आदि की जांच करना।

iii. बिजली मीटर रीडिंग की दैनिक रिकॉर्डिंग।

iv. इन्वर्टर और डीजी सेट की बैटरी में डिस्टिल्ड पानी जल के स्तर और बैंक के इन्वर्टर/ कार्यालय में डीजी सेट के सभी विद्युत कनेक्शनों की जांच करना। बैटरी में डिस्टिल्ड पानी को फिर से भरने के लिए और इन्वर्टर की कैबिनेट और बैटरी को साफ करना। इन गतिविधियों को महीने में एक बार किया जाना है।

v. हर पखवाड़े परिसर के अंदर अर्थ पिट में पानी डलवाना। सभी अर्थ स्टेशनों और केबलों के इन्सुलेशन प्रतिरोध की जांच करने के लिए और बिल के साथ छह महीने में एक बार उसी के लिए परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए।

vi. सभी सामान्य क्षेत्र लाईटिंग फिक्सचर / दीवार के पंखों / छत के पंखों / निकास के पंखों / चिमनी / एसी विसारक इकाइयों / एसी ग्रिल को महीने में एक बार साफ करना।

vii. एसएफयू, फ्लोर पैनल, एमसीबी डीबी, विभिन्न मंजिलों पर स्थित आरसीसीबी, मीटर रूम, राइजर मेन, पैनल रूम, पंप रूम आदि के विद्युत कनेक्शनों के नियमित/आवधिक रखरखाव और सही स्थिति में रखने का कार्य करना।

viii. सभी विद्युत प्रतिष्ठानों को अद्यतन स्थिति में रखा जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति / कर्मचारी की शिकायतों को लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। महीने में एक बार झाड़ू की मदद से सभी इलेक्ट्रिक मीटर रूम को साफ करना और मीटर रूम को साफ – सुथरी स्थिति में रखना।

ix. नियमित घंटों के बाद आपातकालीन शिकायतों में भाग लेना और उन्हें सुधारना।

x. एक चौथाई में एक बार सभी दीवार के पंखों / छत के पंखों / पेडस्टल के पंखों की सभी सुरक्षा (इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल) की जांच करना । दोषपूर्ण भागों जैसे स्प्लिट पिन, क्वार्टर पिन, रबर बुश, आदि को बदलना (फैन मोटर और फैन ब्लेड को छोड़कर)।

xi. विद्युत खराबी की शिकायत को विद्युत प्राधिकरण के साथ पंजीकृत करना और विद्युत आपूर्ति की बहाली तक अनुवर्ती कार्रवाई करना (कार्यालय भवन की विद्युत आपूर्ति की विफलता की स्थिति में)।

xii. प्रभारी इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि के परामर्श से निवारक अनुरक्षण और दैनिक दौरों/शिकायतों के लिए एक रजिस्टर बनाए रखना।

xiii. एक माह में डीबी, पैनल आदि का विद्युत निवारक अनुरक्षण करना तथा प्रभारी अभियंता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित व मुहर लगी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

xiv. निकटवर्ती विद्युत स्त्रोत से आरसीबीओ/ईएलसीबी संरक्षण आदि के साथ उचित वायरिंग के माध्यम से ठेकेदारों/अन्य सेवा विक्रेताओं को अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान करना।

xv. वर्ष में एक बार गीजर, निकास और छत के पंखों की पूरी सर्विसिंग करने के लिए।

xvi. पेंच, प्लग, एंकर फास्नर, कॉर्ड वायर आदि जैसे आवश्यक हार्डवेयर का उपयोग करके ट्यूब लाइट फिटिंग/ स्ट्रीट लाइट फिटिंग/ गीजर/ छत के पंखे/ निकास के पंखों / केबिन के पंखों / दीवार के पंखों / पेडस्टल पंखों / एलईडी / पीएल या फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट / पीएल और सीएफएल लैंप / इलेक्ट्रिकल स्विचिंग सामग्री (सहायक उपकरण) को प्रतिस्थापित / इन्स्टॉल करना। बैंक में प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक सभी विद्युत सामान बैंक द्वारा पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए जाएंगे।

xvii. विद्युत स्टॉक बुक को बनाए रखने में और डेड स्टॉक समाधान गतिविधि के दौरान भी बैंक के इंजीनियर की सहायता करना ।

xviii. शिकायत को सुधारने के बाद शिकायत पुस्तिका में शिकायतकर्ता और केयरटेकर के हस्ताक्षर प्राप्त करना। शिकायत पुस्तिका में संबंधित शिकायत के टिप्पणी कॉलम में शिकायत के अपूर्ण सुधार का कारण लिखना।

xix. बैंक के अंदर खामियों को स्थापित करने या सुधारने के लिए बीएसएनएल के अधिकारियों या अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे केबल टीवी, इंटरकॉम लाइनों आदि की सहायता करना। लंबे समय से लंबित मुद्दों को दूर करने के लिए बीएसएनएल अधिकारी के साथ समन्वय करना

xx. ट्रैपिंग के मामले में लिफ्टों से निकासी और ब्रेकडाउन की स्थिति में संबंधित विक्रेता के साथ शिकायत दर्ज करना। दैनिक आधार पर बुलियन/गुड्स लिफ्ट की गहन निगरानी/प्रचालन।

xxi. विद्युत कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने और भूमिगत टैंक में सबमर्सिबल पंप-मोटर सेट को हटाने के लिए, इसमें कार्य के सुधार के बाद इसे फिर से स्थापित करना और भूमिगत टैंक में सब्मर्सिबल पंप-मोटर सेट की स्थापना के बाद ज्वाइंट पर वाटर -प्रूफ इन्सुलेशन टेप प्रदान करके विद्युत कनेक्शन को फिर से जोड़ना।

xxii. सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद हर 15 दिनों में इमारत की छत पर स्थापित सभी सौर पैनलों को साफ करना। मुख्य कार्यालय भवन परिसर में स्थापित सौर इन्वर्टर के ऊर्जा उत्पादन की दैनिक रिकॉर्डिंग। सौर इन्वर्टर के कार्य न करने की स्थिति में, इसे बैंक के इंजीनियर के ध्यान में लाया जाना।

xxiii. बोर्ड रूम/कॉन्फ्रेंस रूम के ऑडियो/वीडियो सिस्टम की दैनिक जांच और संचालन और पीए प्रणाली की नियमित जांच।

xxiv. सभी पैनलों, ढीले कनेक्शन, यूपीएस, डीजी सेट, ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, इन्वर्टर, वेट/ड्राई राइजर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, सोलर पैनल और गीजर, पैसेंजर लिफ्ट, वाटर लिफ्टिंग पंप, पीए सिस्टम, इंटरकॉम सिस्टम, वीडीपी सिस्टम और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उपकरण आदि की नियमित जांच और सफाई और इसकी उचित कार्यशीलता और सुगम संचालन और रखरखाव के लिए।

xxv. दैनिक कार्य जैसे कि वाटर पंपों का प्रचालन/ वाटर लिफ्टिंग, जब भी आवश्यक हो, स्ट्रीट लाइटों और सामान्य क्षेत्र की लाइटों को चालू/बंद करना।

xxvi. विक्रेता को बैंक में प्रतिनियुक्त अपने कर्मचारियों को उपयुक्त लिवरी/ वर्दी प्रदान करनी होगी, जिसमें विक्रेता / एजेंसी का नाम सामने की जेब पर और पदनाम (या तो इलेक्ट्रीशियन या हेल्पर) को पीछे की ओर प्रदर्शित किया जाए। बोलीदाता को प्रतिनियुक्त अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षा जूते, सुरक्षा चश्मे, 1100वी रेटेड इन्सुलेटेड दस्ताने, फ्यूज पुलर और सुरक्षा हेलमेट भी प्रदान करना चाहिए और ड्यूटी के दौरान इसका उपयोग करना सुनिश्चित करना चाहिए।

xxvii. किसी भी आपात स्थिति में डीजी सेट, पंप, लिफ्ट, अग्निशमन यंत्र आदि का संचालन।

xxviii. कार्य के सामान्य घंटे **छह दिनों (सोमवार से शनिवार) के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक** होते हैं, जिन्हें कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो, तो टेक्नीशियनरविवार / छुट्टी पर कार्य / शिकायतों में भाग लेने के लिए कार्यालय में भाग ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर टेक्नीशियनों को भी शिफ्ट में कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

xxix. सूची केवल संकेतक है। किसी भी रखरखाव कार्य का विशेष रूप से ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन संबंधित प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है और शिकायतकर्ता / बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए कार्य के दायरे के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

विद्‌युत पैनल/ एएमएफ पैनल/ केबल्स के रखरखाव और सर्विसिंग की आवृत्ति

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति
1.	जांच करना कि क्या किसी भी विद्‌युत पैनल में कोई असामान्य तापमान वृद्धि हुई है।	मासिक
2.	धूल और अन्य अनपेक्षित सामग्रियों से बचाव के लिए बस बार चैंबर की सफाई, कार्बन जमा यदि कोई हो, ढीले कनेक्शन, जलने, टूटने / विफलता के लिए इन्सुलेशन की जांच करना, सभी जम्पर कनेक्शन को कसना आदि।	अर्धवार्षिक
3.	पैनल का मेगर परीक्षण (फेज़ टू फेज़, फेज़ टू न्यूट्रल के साथ-साथ फेज़ टू अर्थ)	अर्धवार्षिक
4.	फेज़ेज और फेज़ टू अर्थ के बीच इन्सुलेशन प्रतिरोध के लिए केबल का मेगर परीक्षण	वार्षिक
5.	एमीटर / टोंग टेस्टर के साथ केबल पर लोड की जांच	वार्षिक
6.	कॉन्टैक्टरों की जाँच और कॉन्टैक्टस् की सफाई	त्रैमासिक
7.	कंट्रोल वायरिंग मीटर की जांच और सिस्टम और बैटरी चार्जर की सुरक्षा	मासिक

अन्य विद्युत कार्यों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है -

1.	सबस्टेशन पैनलों का निवारक अनुरक्षण/पैनलों, बस बार कक्षों, स्विचों, वीसीबी, एसीबी और केबलों (आवृत्ति मासिक आधार) का भौतिक निरीक्षण। (क) संपर्क रहित तापमान मापन तकनीकों का उपयोग करके उच्च तापमान की जांच करना। (ख) नट और बोल्टों को कसना। (ग) ब्रेकडाउन और पार्ट्स रिप्लेसमेंट के लॉग को बनाए रखना। (घ) पैनलों की भौतिक सफाई। (ङ) पैनलों के छोटे जले हुए भागों जैसे संकेतकों, एमीटरों, नियंत्रण फ्यूजों, सिलेक्टर स्विचों, टर्मिनल कनेक्टरों और थिंबल की आपूर्ति और फिक्सिंग।
2.	स्ट्रीट लाइटिंग का ब्रेकडाउन रखरखाव। (क) दैनिक आधार पर स्ट्रीट लाइटिंग और ओवरहेड लाइटों की जांच करना और रिकार्ड को रजिस्टर में दर्ज करना। (ख) दिन के समय स्ट्रीट लाइटों/ट्यूब लाइट फिटिंग/फ्लड लाइट फिटिंग की मरम्मत करना। लैंप और ड्राइवर जैसी सामग्री बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी या एसएआर दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। (ग) तथापि, बैंक स्ट्रीटलाइट की मरम्मत के लिए अपेक्षित सीढ़ी प्रदान करेगा और इसकी सुरक्षित अभिरक्षा फर्म की जिम्मेदारी होगी। (घ) सभी लाइटों के नियंत्रण बक्सों की जांच करना और उनकी मरम्मत करना। (ङ) पोल्स की अर्थिंग की जांच करना। पोल्स और लाइट्स को जब आवश्यक हो पेंट का उपयोग कर गिना जाना है।
3.	कार्यालय के समय के दौरान और जब भी बैंक द्वारा आवश्यक हो, कार्यालय भवन की विद्युत संबंधी शिकायतों का ध्यान रखना । सभी शिकायतें बैंक द्वारा प्रदान किए गए रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शिकायत रजिस्टर या तो दैनिक रूप से या आवश्यकता के अनुसार या जब बैंक के इंजीनियर या बैंक द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4.	आग लगने की आपात स्थिति में, यदि कोई हो, बैंक के कर्मचारियों की मदद करना ।
5.	पानी के पंपों का प्रचालन, जब भी ऐसा करने की सूचना दी जाती है।
6.	लिफ्टों से निकासी (यदि उपलब्ध हो) किसी व्यक्ति के फंसने और लिफ्टों के संबंध में ब्रेकडाउन में ओईएम के साथ शिकायत दर्ज करने के मामले में।
7.	डीजी सेट और वाटर पंप, ईपीएबीएक्स सिस्टम, एसी यूनिट, फायर अलार्म सिस्टम और बिजली स्रोतों से जुड़े अन्य उपकरणों सहित संपूर्ण विद्युत प्रतिष्ठानों के संचालन और रखरखाव की सावधानीपूर्वक निगरानी करना। किसी भी अवलोकन/त्रुटि निष्कर्षों में, उन्हें सभी सीएएमसी/एएमसी विक्रेताओं को शिकायतें दर्ज करनी होती हैं, बैंकों के इंजीनियरों आदि के परामर्श से रजिस्टरों/लॉगबुकों/कॉल शीटों आदि को बनाए रखकर सभी रिकॉर्ड रखना होगा।

4. तकनीकी कार्य के संदर्भ में अन्य नियम और शर्तें

i. विद्युत घरेलू कार्यों / निवासियों / आवंटी द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तिगत मरम्मत में भाग लेना अनुबंध का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

ii. मौजूदा उपखंड में यथा निर्धारित अनुरक्षण शिकायत/मरम्मत के निवारण के लिए अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी।

iii. उपर्युक्त के संदर्भ में उपर्युक्त संगत वर्कमैन प्रमाण पत्र को कार्य शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

सफल बोलीदाता उनके द्वारा नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों का पुलिस सत्यापन करने की व्यवस्था करेगा और सत्यापित दस्तावेजों को बैंक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

सफल बोलीदाता बैंक को बैंक के परिसर में कार्य करने के लिए उसके द्वारा तैनात किए जाने वाले श्रमिकों के फोटोग्राफ, आईडी, पते का सबूत और फोन नंबर / संपर्क नंबर / बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करेगा।

5. कार्य से संबंधित निर्देश

a. कामगारों को रात के दौरान परिसर में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

b. ठेकेदार बैंक से प्रवेश पास प्राप्त करने के लिए उक्त कार्य के लिए उनके द्वारा तैनात किए जा रहे कामगारों के पते, व्यक्तिगत विवरण और फोटो बैंक को प्रस्तुत करेगा। कामगारों को बैंक द्वारा जारी किए गए फोटो पास तैयार करने पर ही परिसर के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। ठेकेदार, उसके कर्मचारियों और श्रमिकों को बैंक के सुरक्षा निदेशों का पालन करना होगा।

c. संबंधित कार्यनिष्पादन के लिए और कामगारों के लिए आवश्यक पानी निशुल्क आधार पर परिसर में उपलब्ध स्रोत से लिया जा सकता है। आपूर्ति को अपेक्षित स्थिति में ले जाने के लिए ठेकेदार को स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

d. कार्य के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति भी इसी तरह से निशुल्क आधार पर उपलब्ध आपूर्ति से ली जा सकती है। आपूर्ति को अपेक्षित स्थिति में ले जाने के लिए ठेकेदार को स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

e. इच्छुक निविदाकर्ता बैंक के कार्य दिवस पर क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, भुवनेश्वर के कार्यालय से निविदा शर्तों, विनिर्देशों, दायरे आदि, यदि कोई हो, के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।

f. बोलीदाता कृपया इस बात पर ध्यान दे सकता है कि निर्दिष्ट कार्य को दिन के समय अथवा बैंक के अनुदेशों के अनुसार सामान्य कार्य घंटों/प्रतिबंधित घंटों के दौरान किया जाना चाहिए, जिसमें कामकाजी स्टाफ को कोई असुविधा न हो। सभी डिस्मैन्टलिंग कार्य और शोर पैदा करने वाला कार्य दिन के दौरान और छुट्टियों पर किया जाएगा और दिन के समय इस प्रकार का कार्य प्रतिबंधित घंटों पर किया जा सकता है। ठेकेदार

दरों को उद्धृत करते समय उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखेगा। इसमें शामिल कार्य कार्यालय के स्टाफ को कम से कम असुविधा के साथ किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा साथ ही साथ सफाई भी की जानी चाहिए। श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सीढ़ियों और मार्गों को बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार ठीक से साफ किया जाना चाहिए।

g. स्थानीय निकायों से अपेक्षित अनुमति, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा प्राप्त की जाएगी और किए गए किसी भी व्यय को उसके द्वारा वहन किया जाएगा।

h. बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार कार्य के लिए संपूर्ण सामग्री को केवल कार्य घंटों के विनिर्दिष्ट समय के दौरान उपलब्ध मार्ग के माध्यम से कार्य क्षेत्र में लाया जाएगा।

i. हर समय साफ-सुथरी हाउसकीपिंग ठेकेदार की जिम्मेदारी है। इस निविदा के तहत कर्तव्यों के निर्वहन के कारण कार्य से उत्पन्न मलबे/धूल या किसी भी अपशिष्ट को आवश्यकतानुसार बार-बार साफ किया जाएगा और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार, बैंक के परिसर के अंदर निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा। बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार, निविदाकर्ता बैंक के परिसर के अंदर निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत सभी मलबे को हटा देगा और जब भी संचित अपशिष्ट एक ट्रक लोड के आसपास या उससे पहले की मात्रा का हो, इसे नगरपालिका नियमों के अनुसार अनुमोदित अपशिष्ट डंपिंग स्थान पर स्थानांतरित कर देगा। ठेकेदार इस संबंध में अपने नियमों/विनियमों के उल्लंघन के लिए नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए किसी भी दंडात्मक कार्रवाई/दंड के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

j. बोलीदाता को यह ध्यान देना चाहिए कि उसे भवन के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचाए बिना और कर्मचारियों को असुविधा के बिना अपने कार्य के हिस्से को निष्पादित करना चाहिए। इस प्रकार होने वाली किसी भी क्षति को बोलीदाता की लागत पर और जोखिम पर सही किया जाएगा।

k. बोलीदाता को ध्यान देना चाहिए कि कार्य का निविदा दायरा और रखरखाव कार्य के मापदंडों का वर्णन करने वाले अन्य दस्तावेज केवल संकेतपरक हैं और यह नहीं माना जाए कि यह विस्तारपरक, संपूर्ण और दस्तावेजों तक ही सीमित है। यह आशा की जाती है कि बोलीदाता को ऐसे निविदा दस्तावेजों के आशय को समझना चाहिए और सामग्री, कारीगरी, फिनिश और सामान उचित रूप से प्रदान करना चाहिए ताकि उच्च मानकों की सेवा प्रदान की जा सके। बैंक अपने दृष्टिकोण के अनुसार उपयुक्त और निर्दिष्ट उपयोग के लिए सही सामग्री, कारीगरी, विवरण और फिनिश के चयन पर जोर देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ठेकेदार इस संदर्भ में अतिरिक्त दावा करने के लिए पात्र नहीं है। बाद की तारीख में ठेकेदार से किसी भी दावे को इस स्थिति को समझने में उसकी विफलता आदि कारणों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सामग्री की गुणवत्ता, कार्य के प्रकार, कारीगरी, परिष्करण आदि के संबंध में बैंक का निर्णय ठेकेदार पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

l. ठेकेदार को जो भी आवश्यक हो, अपनी लागत पर वैध लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। ठेकेदार केन्द्रीय आयोग की दरों के अनुसार अपने द्वारा नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करेगा और बैंक के समक्ष इसका प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

m. यदि सफल बोलीदाता द्वारा कोई सामग्री खरीदी जाती है, तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी सभी सामग्रियों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करे और कार्य परिसर में और कार्य के अपने हिस्से के संदर्भ में हर समय आग की रोकथाम के कदम सुनिश्चित करे।

n. दरों को उद्धृत करने से पहले, ठेकेदार को साइट का निरीक्षण करना चाहिए और कार्यों की प्रकृति और दायरे को समझना चाहिए।

o. वर्दी और सुरक्षा सामग्री का उपयोग : सफल बोलीदाता रखरखाव कार्य के लिए अपने श्रमिकों को विशिष्ट उचित वर्दी और सभी सुरक्षा सामग्री प्रदान करेगा।

p. बोलीदाता अनुबंध के उपर्युक्त सभी अनुदेशों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए अपनी दरों को उद्धृत करेंगे ।

6. सुरक्षा नियमावली

a. कीटाणुरहित ड्रेसिंग और कॉटन वूल की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।

b. ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो, घायल व्यक्ति को बिना समय के नुकसान के एक सार्वजनिक अस्पताल में ले जाया जाएगा।

c. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और जमीनी स्तर से 10 मीटर की दूरी पर ऊंचाई से कार्य करते समय श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाएगी।

d. कोई भी पोर्टेबल एकल सीढ़ी लंबाई में 8 मीटर से अधिक नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होगी और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होगी। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर लगाया जाएगा।

e. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर हैंड दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।

f. सामग्री को ऊपर ले जाने या नीचे लाने के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियों को टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत और खराबी से मुक्त होना चाहिए।

g. सभी विद्युत उपकरणों अर्थात् वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि की सुरक्षित रूप से अर्थिंग की जाएगी ताकि परिचालन के दौरान करेंन्ट लगने को रोका जा सके। वेल्डिंग कार्यों में लगे श्रमिकों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।

h. श्रमिकों को व्यावसायिक खतरे से बचाव के लिए सभी सुरक्षात्मक उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने, आदि ठेकेदार द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए।

i. आग बुझाने वाले उपकरणों में से किसी को भी इसके निर्दिष्ट स्थान से हटाया नहीं जाएगा।

j. जब उपकरण उपयोग में नहीं लाया जाता है तो बिजली की आपूर्ति मेन्स से बंद कर दिया जाएगा।

k. कार्य से दौरान लकड़ी की करतनों और आरी से निकलने वाले बुरादे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्धारित स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।

मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं / करते हैं कि मैंने / हमने निविदा में संदर्भ के लिए उपरोक्त निर्देशों / कार्य के दायरे को पढ़ा और समझा है। मैं / हम इसके द्वारा उपर्युक्त नियमों और शर्तों / निर्देशों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूं/हैं।

मुहर के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर दिनांक

अनुलग्नक - ए - बयाना राशि जमा के लिए बैंक गारंटी का मसौदा
(प्रतिभूति बॉन्ड के रूप में मुहर लगाया जाए)

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर (जिसे इसके बाद "रिज़र्व बैंक" के रुप संदर्भित किया जाएगा), मैसर्स _______________ (जिसे "उक्त बोलीदाता" के रुप संदर्भित किया जाएगा) को, "भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर, ओडिशा में मुख्य कार्यालय परिसर में विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु तकनीकी सहायक के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध" के संदर्भ में उक्त निविदा (जिसे इसके बाद "निविदा" के रुप संदर्भित किया जाएगा), के नियमों और शर्तों के तहत मांग से छूट देने के लिए, उक्त बोलीदाता द्वारा निविदा में निहित नियमों और शर्तों के उचित कार्यनिष्पादन के प्रति, रुपये______________ में बैंक गारंटी की प्रस्तुति के प्रति सहमत हुआ है। उक्त निविदा में निहित किसी भी नियम और शर्तों के उक्त बोलीदाता द्वारा किसी भी उल्लंघन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को हुई किसी भी क्षति या हर्जाने के प्रति, हम (जिसे इसके बाद "बैंक" के रुप संदर्भित किया जाएगा) भारतीय रिज़र्व बैंक को रुपये______________ की सीमा तक क्षतिपूरित रखने के लिए सहमत है।

इस संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए किसी भी कथन और हमें दिए गए मांग की सूचना में उल्लिखित राशि पर हमारे द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और यह गारंटी के तहत देय राशि के बारे में निर्णायक प्रमाण होगा और यह कि हम उसके किसी भी प्रमाण की मांग नहीं करेंगे। हम यह भी वचन देते हैं कि हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करेंगे, जो भारतीय रिजर्व बैंक और बोलीदाता या किसी अन्य व्यक्ति के बीच मौजूद या उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के बावजूद किया जाएगा।

हम, ____________________, आगे सहमत हैं कि उक्त निविदा के कार्यनिष्पादन के लिए संदर्भित अवधि के दौरान इसमें निहित गारंटी पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगी। यह तब तक लागू रहेगी जब तक कि उक्त निविदा के तहत या उसके आधार पर रिजर्व बैंक की सभी बकाया राशि का पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दिया गया है और उसके दावों को संतोषजनक रुप से पूरा नहीं कर दिया गया है या दावों के प्रति भुगतान किया गया है या जब तक रिजर्व बैंक यह प्रमाणित नहीं कर देता है कि उक्त निविदा के नियम और शर्तें उक्त बोलीदाता द्वारा सभी प्रकार से पूरी की गई हैं और तदनुसार गारंटी से मुक्त नहीं कर देता है हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस गारंटी के तहत _________ की समाप्ति के बाद या बोलीदाता और/या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरोध पर निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक ऐसी विस्तारित अवधि के बाद कोई अधिकार नहीं होगा।

हम, _____________, अंत में यह वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को इसकी वैधता अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे।

ऊपर निर्दिष्ट किसी भी तथ्य के होते हुए भी, इस गारंटी के तहत हमारी देनदारी रुपये___________ तक सीमित है और हमारी गारंटी 6 महीने या ऐसी विस्तारित तारीख तक लागू रहेगी, जो बोली लगाने वाले और/या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरोध पर हमारे द्वारा अनुमोदित की जा सकती है।

यदि इस गारंटी के तहत दावे को लागू करने के लिए हमारे खिलाफ ____________ के भीतर कोई मुकदमा या मामला दायर किया जाता है, तब उक्त गारंटी के तहत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इसके तहत सभी दायित्व से मुक्त और विमोचित कर दिया जाएगा।

ठेकेदार का नाम और पता: ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर:

दिनांक :
स्थान:

अनुलग्नक – बी – प्रस्तावित प्रमुख कार्मिक
(बोलीदाता द्वारा भरे जाने और भाग - I के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए)

क्र.	श्रमिकों/कार्मिकों के प्रकार	निविदा के अनुसार प्रस्तावित स्टाफ	निविदाकर्ता द्वारा तैनात स्टाफ की संख्या	अनुलग्नक में विवरण प्रस्तुत (हाँ/नहीं)
1	कुशल श्रम (02 नियमित)	02		
2	अन्य (कृपया) निर्दिष्ट करें)			

नोट:

क्रमांक 1 के मामले में: वरिष्ठ इलेक्ट्रीशियन (कुशल श्रमिक) –

जिनके पास बैंकों, संस्थानों, वाणिज्यिक भवनों, निजी संगठनों, आदि में कम से कम पांच (05) वर्ष का अपेक्षित कार्यअनुभव हो, के साथ वैध लाइनमैन-एमवी लाइसेंस / 650 वोल्ट तक के उपकरणों सहित घरेलू और औद्योगिक स्थापना के लिए अनुमति (राज्य सरकार लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी)। नियोक्ताओं से कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं।

ठेकेदार का नाम और पता:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर:

दिनांक :

स्थान:

अनुलग्नक - सी - प्रमुख कार्मिकों की प्रस्तावित शैक्षिक योग्यता एवं कार्य अनुभव
(बोलीदाता द्वारा भरा जाना और भाग - I के साथ प्रस्तुत किया जाना)

कार्मिक का नाम	
पदनाम	
वर्तमान में कार्यरत फर्म का नाम	
कंपनी में कार्य करने के वर्ष	
प्रस्तावित उत्तरदायित्व (उत्तरदायित्व की अपेक्षाओं का भी विवरण दें)	
सौंपे किए गए कार्य का विवरण	
सौंपे गए कार्य के लिए कार्मिक – समय का बजट	
प्रमुख योग्यता (तकनीकी और सामान्य)	
शिक्षा	
पेशेवर निकायों में सदस्यता	
अनुभव और प्रशिक्षण (सौंपे किए गए कार्य के संदर्भ में आवश्यक)	
रोजगार का रिकॉर्ड	

फर्म का नाम	धारित पद	रोजगार के वर्ष

ठेकेदार का नाम और पता:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर:

दिनांक :

स्थान:

भाग II

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
<u>भुवनेश्वर</u>

<u>मूल्य बोली</u>

“भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर, ओडिशा में मुख्य कार्यालय परिसर में विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु तकनीकी सहायक के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध” के लिए

आरबीआई/भुवनेश्वर/संपदा/132/22-23/ईटी/207

निविदाकर्ता का नाम: ____

पताः ____

____

प्रस्तुत करने की तारीख : **22 अगस्त, 2022 को दोपहर 2.00 बजे तक**

<u>**मात्रा की अनुसूची/मूल्य बोली**</u>

लॉट 1: एमओपी में विद्युत अनुरक्षण कार्य के लिए तकनीकी सहायक के लिए एएमसी				
क्रमांक	विवरण	सीएलसी, भारत सरकार के अनुसार न्यूनतम मजदूरी, ₹ में	संख्या	प्रति वर्ष की दर [₹] (दैनिक दर * 312)
शीर्ष लेख 1 - श्रम घटक				
i.	इलेक्ट्रीशियन (कुशल)	**₹734.00**	**02**	
ii.	ईपीएफ और ईएसआई के प्रति नियोक्ता का योगदान	ईपीएफ @13% + ईएसआई @3.25 % = 16.25%		
A. श्रम घटक के लिए प्रति वर्ष कुल राशि (i और ii का योग)				
शीर्ष लेख 2 - गैर-श्रम घटक और कर				
iii.	वार्षिक प्रशासनिक लागत अर्थात्, न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त सभी भुगतान, व्यवसाय चलाने के लिए प्रशासनिक प्रभार (जैसे वर्दी के प्रावधान की लागत, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और अन्य खर्च आदि), सभी आकस्मिक प्रभारों को शामिल करते हुए और निविदा के विभिन्न खंडों के अनुपालन के लिए लागत को जोड़ते हुए, उपभोग्य सामग्री जैसे इन्सुलेशन टेप, फ्यूज वायर, पंप की ग्लैंड पैकिंग, मलबे और सुरक्षा उपकरण के ग्रीस को हटाने, आदि की लागत			
iv.	वार्षिक ओवरहालिंग शुल्क और ठेकेदार का लाभ मार्जिन			
B. जीएसटी को छोड़कर प्रति वर्ष गैर-श्रम घटक के लिए कुल राशि (iii और iv का योग)				
C. i, iii और iv के योग पर 18% की दर से जीएसटी				
समग्र योग (शीर्ष लेख 1 + शीर्ष लेख 2) कर सहित प्रति वर्ष कुल एएमसी की राशि (ए, बी और सी का योग)				

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर:

दिनांक :